

विद्यालय का अनुशासन एवं विद्या का स्तर उच्च खींचा जा रहा जायेगा ।

1] विशेष प्रावधान

- 1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति रजिस्टर्ड होगी तथा समय-समय पर निष्ठाकार उत्तरा नवीनीकरण भी कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय में प्रत्येक रक्षा व अनुभाग के लिए उचित जाणर का रक्षक-रक्ष, दो वैकल्पिक विद्यक कक्ष, पुस्तकालय कक्ष तथा पार प्रशासनिक कक्ष की व्यवस्था की जायेगी ।
- 3- कार्यारियों की सेवा-शर्तें कार्यारियों तथा उनके राज्य सरकार के तत्वावधान-ग्राह्य अकादमी अकादमीय उत्तरा माध्यमिक विद्यालयों के कार्यारियों को अनुसन्ध सेवा नियुक्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 4- विद्यालय का सेवा-शर्तें नियमित प्रपत्रों/पीकपत्रों में रखा जायेगा ।
- 2- उत्तरा शर्तों का अनुशासन किया जाना होगा और यदि किसी भी समय उत्तरा शर्तों में से किसी को शर्त का उत्तरा होता है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुसन्धित प्रमाण-पत्र प्राप्त से किया जायेगा ।

भागीय,

क्रमा-2133/15-17-86-63/53/86

श्री सतगुरु गीतम
उप सचिव ।

- प्रतिनीति निम्नलिखित को सूचनायें प्रेषित :-
- विद्या निदेशक, उ०प्र०, कानपुरवाप ।
 - पिता विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद ।
 - उप निदेशक, मेरठ मण्डल, मेरठ ।
 - निरीक्षक, उत्तर भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, कानपुर ।
 - प्रान्शक, डी-एच स्कूल सोपडा, गाजियाबाद ।

आप से,

श्री सतगुरु गीतम
उप सचिव ।